भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4532

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2014 को दिया जाना है

वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधन

4532. श्री एस. आर. विजय कुमार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में वाहनों हेतु वैकल्पिक ईंधन संबंधी अनुसंधान और विकास में निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधि निर्धारित की गई है; और

(ग) वाहनों हेतु वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क): जी, हां। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, देश में वैकल्पिक ईंधन का विकास करने और उन्हें बढ़ावा देने से संबद्ध है। तेल कंपनियां नामतः आईओसीएल और बीपीसीएल डीजल में मिश्रण के लिए रतनजोत और लिग्नोसेल्यूलोज से बायो-डीजल का उत्पादन करने से संबंधित अनुसंधान क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही हैं। आईओसीएल ने भी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग के लिए अनुसंधान अध्ययन किए हैं। परिवहन ईंधन के रूप में डाइ-मिथाइल ईथर के उपयोग की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है। अतिरिक्त ब्यौरा देने में तेल कंपनियां समर्थ हो सकती हैं।

(ख): सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग): भारत सरकार ने देश में वाहनों के लिए सीएनजी, एलपीजी, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, बायो-डीजल, हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाएं हैं।

सीएनजी

वर्तमान में, ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में सीएनजी की आपूर्ति लगभग 50 शहरों में की जा रही है। गैस की आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में इसका विस्तार और अधिक शहरों में किए जाने की आशा है।

31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार, भारत के 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, दिल्ली/एनसीआर, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में 922 सीएनजी स्टेशन 1.9 मिलियन से अधिक वाहनों को सेवा प्रदान कर रहे थे।

ऑटो एलपीजी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2000 तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 में एलपीजी (मोटर वाहनों में उपयोग का विनियमन) जारी किए जाने से देश में ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में एलपीजी की शुरूआत करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

ऑटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन के माध्यम से ऑटो एलपीजी की खुदरा बिक्री, एआरएआई (ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) द्वारा यथा अनुमोदित एलपीजी कन्वर्जन किट्स की शुरूआत किए जाने से वर्ष 2002 के अंत में शुरू की जा सकी थी। वर्तमान में लगभग 900 ऑटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन हैं।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से तेल विपणन कंपनियों को पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप को छोड़कर दिनांक 01.11.2006 से पूरे देश में भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टियों के अनुसार वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त के अध्यधीन 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईडीपी) की बिक्री करने का निदेश दिया है।

सीसीईए ने दिनांक 12.11.2009 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि (i) फिलहाल एमएल के साथ 5% एथेनॉल अनिवार्य रूप से मिश्रित किया जाए और ऐसा करने में विपणन कंपनियों के विफल रहने की स्थिति में ऊपर उपयुक्त वित्तीय जुर्माना लगाया जाए, (ii) एथेनॉल की आपूर्ति से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान खाद्य एवं लोक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिवों को शामिल करते हुए अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा किया जाए।

बायो-डीजल

देश में बायो-डीजल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्तूबर, 2005 में बायो-डीजल खरीद नीति की घोषणा की जो 01.01.2006 से प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियां, हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) के साथ 5% की सीमा तक मिश्रण करने के लिए पूरे देश में अभिज्ञात 20 खरीद केन्द्रों पर बायो-डीजल की खरीद करेंगी। तेल विपणन कंपनियां समान अवतरित मूल्य पर बायो-डीजल खरीदेंगी और इस मूल्य की समीक्षा प्रत्येक 6 माह में की जाएगी।

हाइड्रोजन

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाइड्रोजन, जो भविष्य में परिवहन ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की मांग को प्रतिस्थापित कर सकता है, के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान और विकास को सहायता के लिए 5 प्रमुख तेल कंपनियों तथा ऑयल इंडस्ट्री डवलपमेंट बोर्ड (ओआईडीबी) के अंशदान से ₹100 करोड़ की निधि से एक 'हाइड्रोजन कॉर्पस फंड' की स्थापना की है।

हाइड्रोजन-सीएनजी मिश्रण पर चल रहे टैस्ट/डेमो वाहनों की ईंधन-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरीदाबाद स्थित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में एक हाइड्रोजन-सीएनजी (एचसीएनजी) डिस्पेन्सिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इस परियोजना का वित्तपोषण अंशतः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा (50%) तथा अंशतः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित 'हाइड्रोजन कॉर्पस फंड' से (50%) किया जा रहा है।

*****